

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 262/2020

URN: CRLMP / 483U / 2020

1. Dhanraj S/o Shri Ramdev, Aged About 30 Years, R/o Bhadu Ka Khera, Police Station Malpura, District Tonk.
2. Ramdev S/o Bholu, Aged About 55 Years, R/o Bhadu Ka Khera Police Station Malpura, District Tonk.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Smt. Nandu W/o Shri Dhanraj, D/o Shri Sanwarlal, Aged About 26 Years, R/o Bhadu Ka Khera, Presently R/o Mundoti, Police Station Borada.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. G.K. Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Gupta, P.P. Mr. Keptain Prajapati

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

29/06/2026

याचीगण—अभियुक्तगण की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता, विचारण न्यायालय—सिविल न्यायाधीश, सरवाड़, जिला अलवर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—42/2018, पुलिस थाना बोराड़ा, अपराध अंतर्गत धारा 420, 120बी भा0दं0सं0 के संबंध में दिनांक 05.01.2019 को पारित प्रसंज्ञान आदेश के विरुद्ध तथा उससे संबंधित समस्त आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किए जाने के लिए प्रस्तुत की गई है।

योग्य लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण के अनुसंधान से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे अभिलेख पर लिया गया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता (राजीनामा) हो चुका है,

जिसमें दोनों पक्षों के गवाहों ने स्वेच्छा से राजीनामा होना स्वीकार करते हुए, राजीनामा तस्दीक किया गया है।

योग्य अधिवक्ता याचीगण एवं परिवादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने भी न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना जाहिर करते हुए राजीनामा की पुष्टि की गई है।

हमने दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण द्वारा किए गए कथनों पर विचार किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-42/2018 के संबंध में पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया था, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम प्रतिवेदन अस्वीकार किया जाकर याचीगण के विरुद्ध धारा 420, 120बी भा0दं0सं0 में प्रसंज्ञान लिया गया है। तत्पश्चात् दोनों पक्षों की ओर से स्वैच्छया राजीनामा होना जाहिर किया गया है, अतः दोनों पक्षों के मध्य विवाद की प्रकृति तथा वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य सौहार्द स्थिति को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित प्रकरण—**Gian Singh Vs. State of Punjab {(2012) 10 SCC 303}** में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में धारा 482 द0प्र0सं0 के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने की स्थिति को देखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण की कार्यवाही को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः याचीगण की ओर से प्रस्तुत यह याचिका अंतर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 स्वीकार की जाती है तथा पुलिस थाना बोराड़ा के समक्ष दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-42/2018 से संबंधित विचारण न्यायालय—सिविल न्यायाधीश, सरवाड़, जिला अजमेर के समक्ष लंबित आपराधिक प्रकरण की आपराधिक कार्यवाही को अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय में विचाराधीन नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या **4ए/2019 उनवानी सरकार बनाम धनराज एवं अन्य** की समस्त आपराधिक कार्यवाही निरस्त (अपास्त) की जाती है तथा अभियुक्तगण धनराज पुत्र श्री रामदेव एवं रामदेव पुत्र श्री भोलू

को धारा 420 एवं 120—बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

इस याचिका के साथ प्रस्तुत अन्य कोई प्रार्थना पत्र यदि कोई लंबित है तो वे भी इसी अनुसार निस्तारित किए जाते हैं।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI/33